

# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 21, 2009 (VAISAKHA 1, 1931 SAKA)

#### हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

#### अधिसूचना

दिनांक 21 अप्रैल, 2009

संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/हीडब्ल्यूएल/डी०डी०पी०-एचटीएन/2009/1086.—पंजाब अनुसृचित सङ्क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्वच्यन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम संख्या ४1), की घारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबंध ख में बिनिर्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्रों को लागू किये जाने वाले प्रस्तावित अनुबन्ध क तथा ख में दिये गये अनुसार निर्वन्धनों तथा शर्तों सहित नियंत्रित क्षेत्र हथीन के लिए निम्नलिखित की प्रारूप विकास योजना-2021 ई०वी० प्रकाशित करते हैं।

इसजेद्वारा, नोटेस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, प्रारूप विकास योजना पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों सिहत, यदि कोई हो, जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, आयोजना भवन, सैक्टर-18, चण्डीगढ़ द्वारा निखित रूप में किसी व्यक्ति से इस योजना के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी।

#### डाईग

- हथीन नियंत्रित क्षेत्र का विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (एफ०) 880/82, 24 जुलाई, 1982 (पहले से निर्देशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या जे०डी०-89/1744, दिनांक 30 जनवरी, 1989 द्वारा प्रकाशित) ।
- हथीन नियंत्रित क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2021 ई०वी० ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (एफ०) 2104/2002, दिनांक 3 अप्रैल, 2002 ।

#### अनुबन्ध क

नियंत्रित क्षेत्र हथीन की प्रारूप विकास योजना 2021 ई०वी० पर व्याख्यात्मक टिप्पण

(i) पुष्ठ भूमि

हथीन पत्रयल जिले का तहसील मुख्यालय है। इस क्षेत्र के अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र का पिछडेपन के आरम्भिक सूचक अनपदता. अनावृत्ति, बाढ, अपयोग्त सिंचाई और कृषि के अतिरिक्त रोजगार के दूसरे वैकल्पिक साधनों का अभाव है। भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार हथीन एक कस्वा है, फिर भी, हरियाणा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 2 मार्च, 2000 अनुसार हथीन की नगरपालिका समिति समाप्त कर दी गई थी और उसी अनुसार यह एक ग्रामीण आबादी है।





## (ii) अवस्थिति और क्षेत्रीय स्थापना

यह पत्नवल करना से पश्चिम-दक्षिण की ओर पत्मवल-हधीन-पुन्हाना अनुसूचित सड़क पर लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर खित है। इसके इर्द गिर्द के करदे/गांवों से पक्की सड़कों से बढ़िया तरीके से जुड़ा हुआ है। यहां से सोहना लगमग 29 किलोमीटर और नूंह 25 किलोमीटर है। यह गांव औरंगाबाद से पक्की सड़क द्वारा दिल्ली-मंबुरा सड़क से भी जुड़ा हुआ है।

## (iii) भौगोलिक

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति उपजाऊ मूमि के साथ समतल है। वर्तमान करने के पश्चिम का क्षेत्र नीचा है और दिकास के लिये टीक नहीं है। दूसरे क्षेत्रों की तरफ, आबादी के चारों तरफ बाढ़ एक सांझा लक्षण है। बरसात के दिनों में पानी उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की तरफ बहता है। आबादी के आसपास यहां बहुत सारे तालाब हैं। पश्चिम में उटावड डिस्ट्री के बनने से, पूर्व में गोध्छी नाले के होने से तथा इस क्षेत्र में दूसरे बाढ़ नियंत्रित कदम उठाने से, बाढ़ की स्थिति बहुत हद तक बदल गई है।

इस कारण से, प्राय बाढ़ से सुरक्षित क्षेत्रों की तरफ विकास की नयी प्रस्तावनाओं को प्रस्तावित किया गया है। भूमि जल स्तर नीचा है। पानी खारा तथा सख्त है आर मानव उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं है।

### (iv) अवसंरचना की उपलब्धता

#### (क) उपयोगिताएं

वर्तमान में हथीन एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, यहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। लोगों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने तथा उद्योगों को लगातार बिजली उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक 66 किलोवोल्ट बिजली स्थापित किया है। मू-जल खारा तथा पीने योग्य नहीं है। पानी का वितरण सार्वजनिक स्वास्थ्य विमाग की वितरण प्रणाली पर निर्मर है। रिहायशी/ आबादी के मुख्य हिस्से में उपलब्ध है। फिर भी ड्रेनेज की स्थिति अच्छी नहीं है। हथीन की संचार व्यवस्था एक अलग से दूरमाष्ट्र केन्द्र से अच्छी तरह जुड़ी हुई है।

#### (ख) सामाजिक ढांचा

वर्तमान में यहां एक औद्योगिक प्रशिक्षण संख्या और लडके तथा लडकियों के लिये एक सरकारी प्राथमिक स्कूल, 1045 स्तर के दो सरकारी स्कूल, तीन निजी हाई स्कूल तथा एक ई०एस०आई० हत्यताल है। सामाजिक ढांचा अपेक्षाओं को पूरा कर-के लिए पर्याप्त नहीं है।

## (v) कस्बे का आर्थिक आधार/कार्यात्मक स्थिति

हथीन के आस-पास के क्षेत्रों के लिये प्रशासनिक, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक कार्यों का मुख्य आर्थिक केन्द्र है। कृषि पृ कस्ये का मुख्य कार्य है। कृषि उत्पादों को विक्रय करने हेतु एक मण्डी स्थापित की गई है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) मण्डी टाऊनशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्जित की गई 24.25 एकड़ क्षेत्र व अनाज मण्डी, सब्बी मण्डी तथा स्थानीय व्यवसायिक केन्द्र हेतु विकसित कर रहा है।

## (vi) जनसंख्या/जनसांख्यिकी

हथीन एक छोटे नगर की तरह आस-पास के क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादों तथा दिन-प्रतिदिन की व्यवसायिक सुविधाओं । पूरा करता है। इस पूर्व नगर के विकास को नियंत्रित करने के लिये 1981 में नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया।

2001 की जनगणना के अनुसार हथीन की जनसंख्या 10913 व्यक्ति है। 10 वर्षों की जनसंख्या और इसकी प्रतिशतता वृद्धि नीचे वर्णित हैं :—

	वर्णित है :	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर
क्रम संख्या	1951	2544	
1	1961	4528	+77.98
2	1971	5472	+20.84
3	1981	6553	+19.75
5	1991	7863	+20.00
6	2001	10913	+38.79
9	2011	20407 (प्रक्षेपित)	+87.00
8	2021	38161 (अर्थात् 38000) (प्रक्षेपित)	+87.00



ऊपर दी गई जनसंख्या की तालिका से वह साफ है कि हथीन की जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत धीमी है।

करबे के आस-पास का क्षेत्र मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र होने के कारण लोगों को स्थानान्तरण करते हुए देखा गया है। औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए करबे में औद्योगिक कार्यों को तेज किया जाना प्रस्तावित है जो कि दूसरे वाणिज्यिक और विमिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के विकास को शक्ति प्रदान करेगा। जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि वर को मानकर तथा अतिरिक्त बढ़ती हुई 27087 व्यक्तियों की सहायक जनसंख्या को जोडकर हथीन की अनुमानित जनसंख्या 2021 ई०पी० तक लगभग 38000 व्यक्ति होगी। योजना के अन्तर्गत 350 एकड रिहायशी क्षेत्र की प्रस्तावना 200 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर के घनत्व के आधार पर की गयी है।

## (vii) वर्तमान परिवहन प्रणाली

यह सदकों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है तथा पलवल से 16 किलोमीटर दूर पलवल-हथीन-पु हाना सड़क पर स्थित है। यह आस-पास के गांवों तथा शहरों से पक्की सड़कों द्वारा बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सोहना यहां से लगभग 29 किलोमीटर तथा नृंह लगमग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गांव औरंगाबाद से पक्की सड़क द्वारा दिल्ली-मथुरा से भी जुड़ा हुआ है।

## (viii) नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

हथीन आसपास के क्षेत्र के लिये एक छोटा है परन्तु एक महत्वपूर्ण करना है। यह सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और एक बड़ी मण्डी टाऊनशिप है। विकास के योजनाबद्ध तरीक से चलने के लिये तथा विभिन्न समयों में घीरे-घीरे होने वाली वृद्धि तथा भीड़माड़ को नियंत्रित करने के लिये सरकार ने सितम्बर, 1981 में पंजाब सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियंत्रित विकास निर्वसन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उपघारा (4) के अधीन अधिसूचना संख्या 9950-1 टी०सी०पी०-81/1066, दिनांक 5 सितम्बर, 1981, जिसे हरियाणा सरकार के राजपत्र 3 नवम्बर, 1981 में प्रकाशित किया गया था, हरियाणा सरकार के नगर तथा आयोजना विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या जे०डी०-89/1744, दिनांक 30 जनवरी, 1989 में वर्ष 2001 ई॰वी॰ तक 30000 व्यक्तियों का एक प्रारूप विकास योजना प्रकाशित किया गया था। हालंकि बाहरी जनसंख्या दर अनुपस्थिति तथा बाहरीय स्थानान्तरण के कारण यह प्राप्त नहीं की जा सकी है। 2001 की जनगणना अनुसार हथीन की जनसंख्या 10913 व्यक्ति है। जनसंख्या दर के वर्तमान चलन को देखते हुए 2021 ई०वी० की जनसंख्या वही रखी गई है। इसे दोबारा करने की आवश्यकता इस वास्तविकता की वजह से उठी है क्योंकि शहर की वृद्धि एक बेढंग तरीके से हो रही है और यहां यह जरूरी है कि इसे निश्चित अवधि 2021 ईंग्वीं० तक दोबारा किया जाये।

## (ix) प्रतिबन्ध/सीमाएं तथा सम्भावना

इस क्षेत्र के कुछ अन्य क्षेत्रों की तरह हथीन में बाढ़ मुख्य थी। बरसात के दिनों में पानी उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की तरफ बहता है। मीजूदा आबादी के आस-पास बहुत से तालाब हैं। आस-पास के क्षेत्रों की भौगोलिक तक प्राय: उर्वरक कृषि क्षेत्र सहित समतल है। वर्तमान नगर के पश्चिम में पलवल उटावड़ सड़क के क्षेत्र तक नीचा पड़ता है तथा विकास के लिए उपलब्ध नहीं है। पश्चिम में सटावड डिस्ट्रीब्यूट्री के बनने से पूर्व में गोच्छी नाले के होने से तथा क्षेत्रों में दूसरे बाद नियंत्रित कदम सठाने से बाद की स्थिति में बदलाव आया है। इन सबको ध्यान में रखते हुए सुरक्षित क्षेत्र की तरफ नये विकास को प्रस्तावित किया गया है।

## (x) अभूमि उपयोग की प्रस्तावनाएं

जैसा कि पूर्व में वर्णित किया गया है, हथीन की विकास योजना बनाने में मुख्य विचार विद्यमान करसे को नियोजित तरीके से बढ़ाना है। भविष्य में किये विकास को समायोजित करना है। इस तरीके से यिभिन्न मुख्य मूर्म उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं जो वर्तमान आबादी के विकास के योग्य हैं। नगरपालिका की पहले की सीमा में यहां भूमि के काफी खाली खण्ड हैं, जिन्हें विकसित किया जा सकता है, विभिन्न तरह के भूमि उपयोग के लिये प्रावधान निम्नानुसार है :-

		न्न तरह के भूमि उपयोग के वि नगर पालिका की सीमा	निवालिय बाज क		शहरी क्षेत्र की कल प्रतिशतता
Б <del>Н</del>	भूमि उपयोग	के अन्दर का क्षेत्र	अन्दर का क्षेत्र	(एकड में)	3
ख्या			350.00	640.00	37.00
1	रिहायशी	290.00	32.00	76.00	4.39
2	वाणिज्यिक	44.05		396.00	22.89
-	औद्योगिक		396.00		11.04
3		116.00	75.00	191.00	11.04
4	सार्वजनिक तथा अर्घसार्वजनिक	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		275.00	15.89
5	यातायात	51.00	224.00		1.39
			24.00	24.00	-
6	सार्वजनिक सुविधाएं		77.00	128.00	7,40
7	खुले क्षेत्र	51.00	1170.00	1730.00	100.00
-	कुल शहरी क्षेत्र	552.00	1178.00		



#### भूमि उपयोगों का विवरण

#### रिहायशी अंचल

यह प्रारूप विकास योजना 38000 जनसंख्या के लिये तैयार किया गया है। वर्तमान शहर लगभग 290 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें 10913 व्यक्तियों की जनसंख्या सम्मिलित है। यह क्षेत्र गहन आबादी से भरा हुआ है। इस विकास योजना की प्रस्तावनाएं लगमग 27000 व्यक्तियों की जनसंख्या की अतिरिक्त आबादी को सम्मिलित करने के लिए तैयार की गई है। 80 व्यक्ति प्रति एकड़ के घनत्व रिहायशी प्रयोग वे लिये प्रस्तावित किया गया है। रिहायशी प्रयोग हेतु सैक्टर-1, 3, 3क, 7, 8 तथा 10 को पूर्ण रूप से विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

#### II वाणिज्यिक अंचल

हथीन की यदिष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये जैसे कि सब्जी/अनाज मण्डी, ट्रक स्टैंड, वेयर हाऊसिंग तथा दूसरी वाणिज्यिक जरूरतों के लिए 76.00 एकड भूमि को वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। सैक्टर-3, नाम 6 तथा 9 भाग में वाणिज्यिक भूमि की टुकड़ों को वाणिज्यिक प्रयोगों जैसे कि खुदरा व्यापार, बैंकों, कार्यालयों, रेस्तरों तथा दूसरे विभिन्न प्रयोग जैसे अनाज मण्डी, सब्जी मण्डी, ट्रव स्टैंड, वेयर हाऊस इत्यादि के लिये प्रस्तावित है। 76.00 एकड़ में से 44.00 एकड़ बस्ती की पहले की नगर चालिका की सीमा में और 32 एकड़ नियंत्रित क्षेत्र में पड़ता है।

#### III औद्योगिक अंचल

इस क्षेत्र के कार्यों को शक्ति प्रदान करने के लिए तथा 6000 औद्योगिक मजदूरों को शरण धेने के लिए औद्योगिक भूमि मुहैया करान प्रस्तावित किया गया है। जिसके लिये 25 मजदूर प्रति एकड़ की दर से जरूरत निकाली गई है, खेती पर आधारित, कृषि सहायक तथा हत्वें उद्योगों पर आधारित औद्योगिक प्रयोग के लिये कुल 396 एकड़ भूमि की जरूरत है। औद्योगिक संकटर-2, 4 तथा 5 इस उपयोग के लिय आरक्षित हैं। औद्योगिक मूमि की स्थित तकनीकी तौर पर हवा की दिशा के विकद्ध है परन्तु क्योंकि उद्योगों के लिये ही भूमि आरक्षित की जा चुकी है और यह विकास की और है, यह प्रयोग वर्तमान स्थिति में घिरा हुआ है और दूसरे सैक्टरों तथा औद्योगिक क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने के लिये एक 50 मीटर की बौजाई के हरित क्षेत्र को बनाया गया है।

#### IV सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक प्रयोग

लगमग 191 एकड भूमि को सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित किया गया है. इस उपयोग के लिये सेक्टर-9 भाग तथ 11 में भूमि आरक्षित है जो मुख्य तौर पर सार्वजनिक भवनों जैसे कि दमकल केन्द्र, स्वास्थ्य सुविधाएं और दूसरी सार्वजनिक प्रयोग के मवनों वे लिए प्रस्तावित है।

#### V यातायात तथा दुरसंचार

हथीन का परिधि प्रतिमान जालनुमा आकार का प्रस्तावित किया गया है। इस उपयोग के लिये लगनग 275 एकड़ का क्षेत्र आरक्षित किया गया है। विभिन्न सड़कों का परिधि प्रतिमान इस प्रकार से हैं :—

क्रम संख्या	वर्गीकरण	सङ्क का नाम	भूमि आरक्षण
1	V-1	पलवल-हथीन तथा उटावड अनुसूचित सडक	दोनों ओर 30 मीटर हरित पट्टी सहित वर्तमान चौड़ाई।
2	V-2	परिधि सङ्क	दोनों ओर 30 मीटर हरित पट्टी सहित 75 चेटर थोडाई।
3	V-3	सैक्टर सड़क	45 मीटर घौड़ाई।

#### VI जनस्विधाएं

जैसा कि विकास योजना में दर्शाया गया है सार्वजनिक उपयोगों जैसे कि जलघर, मलघर व बिजलीघर के लिये 24.00 एकड़ का बी प्रस्तावित किया गया है। जल तथा बिजली घर पहले ही स्थल पर उपलब्ध है। विकास योजना में इन दोनों स्थलों को स्थान दिया गया है। तदारि मौजूदा गोच्छी ड्रेन के साथ मलघर के नये स्थल को प्रस्तावित किया गया है।

#### VII खले क्षेत्र

दों बड़ें आकार के खण्डों में से एक लगमग 51 एकड़ को मनोरंजन के उद्देश्य से जैसे कि खुले क्षेत्रों तथा पार्क की तरह अंकित किय गया है. तालाब के रूप में तथा कमेटी के पहले की सीमा के अन्दर पड़ता है। दूसरा खण्ड 77 एकड़ आकार के अन्तर्गत नियंत्रित क्षेत्र में पड़त है जो कि पहाड़ी के रूप में पतवल हथीन रोड़ के साथ-साथ फैली हुई है। उटावड़ सड़क तथा परिधि सड़क के साथ हरित क्षेत्र है।

#### ग्रामीण अंचल तथा अनुरूप उपयोग

शहरीकरण प्रस्तावानाओं के आस-पास बाकि क्षेत्र जो कि मारी मात्रा में कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र की तरह आरक्षित प्रस्तावित हैं, कृषि क्षेत्र तदापि इस क्षेत्र के जरूरी भवन कायों की जरूरतों को खत्म नहीं करेगी जैसे कि गांव की मौजूदा आबादी-देह को बढ़ाना, और इस ग्रामीण क्षे को जरूरी सुविधाओं के रखरखाव एवं बदलाव करना यदि यह सरकार द्वारा अनुमोवित/प्रायोजित के तहत है।

#### अंचल विनियम

5. 5

भूमि उपयोग संबंधी प्रस्तावों को जोनिंग विनियम बनाकर वैध बनायां जा रहा है जो इस विकास योजना के भाग बनेंगे। ये यिनियम ब उपयोग परिवर्तन और विकास-मानकों के लिए लागू होंगे। इन विनियमों में विभिन्न मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों भी बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है और यह तय किया गया है कि भूमि उपयोग परिवर्तन तथा विकास, योजना में विये गये व्योरे अनुक होगा। इससे प्रत्येक सैक्टर का निर्दिष्ट विकास और उचित नियंत्रण करने हेतु विस्तृत सैक्टर योजनायें तैयार करना सुनिश्चित हो सकेगा।

#### अनुबन्ध ख

अचंल विनियम

हथीन नियंत्रित क्षेत्र में उपयोग तथा प्रारूप विकास योजना ड्राईग संख्या डी०टी०पी० (एफ०) 2104/02, दिनांक 03 अप्रैल, 2002 में दर्शाए अनुसार।

#### सामान्य

हथीन के इर्द-निर्द के नियंत्रित क्षेत्र के लिए विकास योजना का भागरूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को हथीन नियंत्रित क्षेत्र के लिए विकास योजना का अंचल विनियम कहा जाएगा।

ये विनियम विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र के लिए होंगे और पंजाब अनुसूचित सडकें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्वन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), और उसके अधीन बनाए गए नियमों की आवश्यकता के अतिशिक्त होंगे।

#### ॥ परिभाषायें

इन विनियमों में;

- (क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है नियमों के अधीन अनुमोदित;
  - (ख) "मवन नियमों" से अमिप्राय हैं, नियमों के भाग-VII में निहित नियम;
    - (ग) "झाइँग" से अभिप्राय है, झाईंग संख्या डी०टी०पी० (एफ०) 2104/02, दिनांक 03 अप्रैल, 2002;
    - (घ) "फर्श क्षेत्र अनुपात (फ.क्षे.अनु.)" से अभिग्राय हैं, किसी मवन की सभी मंजिलों के कुल फर्श क्षेत्र और स्थल के कुल फर्श क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में दर्शाया गया अनुपात;
    - (इ) "युप हाउसिंग" में रिहायशी प्रयोजन के लिए फलैट के रूप में डिजाईन किये गये मवन या किसी अनुमारिक अध्या सम्बद्ध मवन होंगे, जिनमें सामुदायिक सुविधायें, सार्वजनिक सुख सुविधायें और जन उपयोगितायें शामिल है, जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा द्वारा विहित्त और अनुमारित हो;
    - (च) "हत्के उद्योग" से अभिप्राय है, ऐसे उद्योग जिसके कारण हानिकारक या आपितजनक शोर, घुआं, गैस, भाप या गन्दा, घूल, बहि-स्त्राय और अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा वालित हो,
    - (छ) "स्थानीय सेवा उद्योग" से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्यादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस्तेमाल क्रिया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियों, आईसक्रीम, विनिर्माण, वातित जल, बिजली से बलने वाली आटे की चिक्क्यों, लोड़ी, झाइक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाडियों, स्कूट्यों तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईंचन डियो आदि बशर्ते कि उन द्वारा किसी ठोस ईंचन का प्रयोग न किया जाता हो
    - मध्यम उद्योग" से अभिप्राय है, 'हल्के उद्योग' तथा 'स्थानीय सेवा' उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो खतरनाक गंध या दुर्गन्व न फैलाते हो;
    - (झ) "व्यापक ज्वांग" से अमिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जिसमें 100 से अधिक कागगार नियुक्त हो तथा जिसमें ईचन चालित किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाये बहार्त कि इसमें किसी प्रकार से हानिकारक तत्व न हो.
      - (अ) 'मारी उद्योग' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्यजनिक या अर्धसार्यजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (संयन्त्र मशीनरी इत्यादि की लागत जो सरकार की औद्योगिक नीति में यथा परिमाषित की
      - (ट) "हानिकारक या खतरनाक उद्योग" से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित उद्योग तथा जो ऐसे रूप से अत्यन्त उत्कृष्ट तीव्र जैसे कि अधिक धुआं शोर, कम्पन्न, बदबू, अरूचिकर या हानिकर बहिःसाव विस्फोटक ज्वलमशील सामग्री इत्यादि तथा समान के स्वास्थ्य के लिए अन्य खतरों तथा सुरक्षा से सम्बद्ध है।
    - (a) "वास्तिविक तिथि" से अभिप्राय है नीचे घोषित नियत्रित क्षेत्र की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथिः

क्रम संख्या	नियंत्रित क्षेत्र का नाम तथा अधिसूचना संख्या	वास्तविक तिथि	
1	हरियाणा राजपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1981 में प्रकाशित हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या 9950-टी० सी०पी०-81/1066, दिनांक 5 सितम्बर, 1981 द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र	दिनांक ३ नवम्बर, 1981	

(ड) नियंत्रित क्षेत्र में किसी मूनि अथवा भवन के संबंध में "अननुरूप उपयोग" से अगिप्राय है. ऐसी मूमि अथवा भवन का वर्तमान उपयोग जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;



## HARYANA GOVT, GAZ. (EXTRA.), APR. 21, 2009 (VYSK. 1, 1931 SAKA)

- "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन" से अमिप्राय हैं, कोई भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसा कि जल आपूर्ति जल निकास, बिजली, डांक तथा तार तथा परिवहन तथा (장) दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा:
- "नियमों" से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सडक तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, (m)
  - "सैक्टर सघनता" और "कॉलोनी सघनता" से अमिप्राय है, उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी नी
- "सैक्टर क्षेत्र" तथा "कॉलोनी क्षेत्र" से अभिग्राय हैं, सैक्टर या कॉलोनी का क्षेत्र जो कि मानचित्र पर दिखाये (ন) अनुसार मुख्य सड़क प्रणाली से प्रतिबद्ध हो;
- इस परिनाषा में "सैक्टर क्षेत्र" या "कालोनी क्षेत्र" से अनिप्राय होगा, सैक्टर या कालोनी या क्षेत्र जो ड्राईंग पर तथा कालोनी/सैक्टर की अनुमोदित विन्यास योजना पर दर्शीये गये मुख्य सडक प्रणाली में व्याख्या : प्रतिबन्धित है। मुख्य सङ्को तथा उनकी निकटवर्ती हरित पट्टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाम प्लाटिड / ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटएंबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, तथा इसमें सैक्टर या कालोगी, जैसे भी रिथति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र शामिल नहीं हैं औद्योगिक कालोनी/सैक्टर से मिन्न कालोनी या सैक्टर की विन्यास योजना में, सडको, खुले स्थानो, विद्यालयो, जन तथा सामुदायिक मदन तथा अन्य सामूहिक उपयोगो के लिए आरबित भूमि कालोनी/सैक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
- सैक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनों के लिए यह माना जायेगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र शामिल होगा। तथा कि प्रत्येक भवन प्लाट प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति मदन प्लाट या जो कालोनी / ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में द्विमिनिलत है सहित औसत पर होगा। यद्यपि दुकान एवं प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी।
- "स्थल आच्छादन" से अभिप्राय है, नवन के भूतल पर तथा स्थल के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के बीच प्रतिशतता
- "अधिनियम", "कालोनी", "उप-निवेशक", "विकास योजना", "सैक्टर" और 'सैक्टर योजना" शब्दों का वही अर्थ होगा जो छन्हें पंजाब अनुसूचित संडक तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्वन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का (日) पंजाब अधिनियम 41), और नियम 1965 में दिया गया है ,
- "फार्म गृह" से अभिप्राय होगा, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है:-(न)
  - निवास इकाई अर्थात् मुख्य उपयोग
  - फार्म शैड अर्थात् अनुषांगिक उपयोग (ii)

#### टिप्पण:-

- फार्म गृह का निर्माण "कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृह की व्यवस्था" संबंधी खण्ड XIX के अन्तर्गत दिये गये निर्बन्धनों द्वारा नियंत्रित होंगा। "भवन नियंत्रण और स्थन विशिष्टियों" संबंधी फार्म शैड XIX खंड में उत्लिखित निर्वन्धनों द्वारा नियंत्रित (1)
- "पुष्तवान या टांड" से अभिप्राय है, स्वयं कमरे के अन्दर खम्मे के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से आदृत एक खाने
- जैसा उमार, परन्तु जिसका उमार एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो; (H)
- "अटारी" से अमिप्राय है, सामान्य फर्श से ऊपर अधिकतम 1.5 मीटर की ऊंचाई ढल्जा छत से शेष बचे स्थान पर मध्यवर्ती फर्च तथा जो मंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित करवाया जाता है अथवा अपना ली जाती हो . (फ)
- "पराम्ती तल" का अभिपाय है, मूतल के ऊपर मध्यवती तल जिसमें पराम्ती उस तल के क्षेत्रफल का 1/3 तक सीमित है कम से कम 22 मीटर ऊंचाई हो ; (a)
- "कृषि जपयोग साधन" से अब्रिपाय होगा, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्यों को करने में सहायक रूप में अपेक्षित हैं, जैसे कि नलकूप पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई के नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाढ़ (刊) लगाना तथा चार दीवारी बनाना, जल नलके आदि ;
- "ग्रामीण उद्योग स्कीम" से अनिप्राय हैं, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग स्कीम के रूप (म) में पजीकृत हो,

- "लघु उद्योग" से अभिप्राय है, एक ऐसी आँद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत (四)
- "कृषि आधारित उद्योग" से अभिप्राय हैं, एक ऐसा औद्योगिक इकाई जो खाद्यान्न, फलों या कृषि संबंधी कचरे का (यक) उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है; तथा
- "सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई" से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार के सूवना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में शामिल उद्योगों के प्रवर्ग तथा इस अधिसूना के अनुबन्ध-1 में तथा/अथवा, जो हरियाणा सरकार द्वारा (यख) समय-समय पर परिमाषित किया जाये :
- "साईबर पार्क/सूबना प्रौद्योगिकी पार्क" से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केयल सॉफ्टवेयर विकास सम्बन्धी कियाकलाप तथा सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं को स्थित करने के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग कियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी;
- "साईबर सिटी" से अमिप्राय है आस पड़ोस तथा सूचना प्रोद्योगिकी की घारणा परिपूर्ण शहर जिसमें अवसंरचना अंक्रित करने तथा मध्यम तथा अति उच्चतम गुणवत्ता का हो, बड़ी साफटवेयर कम्पनियां/सूचना ग्रौद्योगिकी को (यघ) समर्थ बनाने वाली सेवाओं की कम्पनीयां अंकुरित हों जिसमें उत्पादन करने वाली इकाईयों को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- "हरित पट्टी" से अनिप्राय है विकास योजना में दर्शाय गये सैक्टर/मुख्य सड़क के साथ-साथ भूमि की पट्टी जो (यड) भविष्य में सैक्टर / मुख्य सड़क को मुख्य रूप से चौड़ा करने के लिए हो : तथा
- (यच) अन्य अभिव्यक्तियों का वहीं अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है।

## III मुख्य भूमि उपयोग / अंचल :-

- रिहायशी अंचल (1)
- वाणिज्यिक अंचल
- औद्योगिक अंचल (iii)
- परिवहन तथा संचार अचंल (iv)
- जनउपयोगिता अंचल
- सार्वजनिक तथा अर्घ सार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल)
- खुले स्थान अंचल (vii)
- कृषि अंचल (viii)

南

त्रित

खाने

3 तक

करने में

के रूप

- मुख्य मूनि उपयोग का वर्गीकरण परिशिष्ट क के अनुसार है।
- सैक्टरों में विमाजन:- उपर्युक्त विनियम-III में कम संख्या (I) से (VII) पर वर्णित मुख्य मूनि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ नूमि उपयोग है, उन्हें दशौँये अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है, इन सैक्टरों की मुख्य सडकों के आरक्षण द्वारा हदबन्दी की हुई है और प्रत्येक सैक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।
- मुख्य उपयोग में मूमि उपयोग ब्यौरे:- मुख्य, सहायक तथा सम्बद्ध उपयोग के लिए इन विनियमों की तथा नियमों की अन्य अपेहाओं के अध्याधीन संबंधित मुख्य भूमि उपयोग अंघल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूधी परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन अंचल विनियमों के साथ जोड़े गये हैं।
- विकास के लिए अनुपयुक्त सैक्टर- विभिन्न सैक्टरों में भवन प्रयोजनार्थ संबंद्ध भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होने पर भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के संघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत उनके भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अध्यता उत्त पर किसी भवन के निर्माण के लिए अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक इन सैक्टरों में जल सप्लाई, जल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उसकी तसल्ली तक सुनिश्चित रूप में उपलब्ध नहीं हो जाती।
- सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर:-
  - जो सैक्टर वाण्डिप्यक प्रयोजन हेतु आरक्षित किये गये हैं उनका 10 प्रतिशत तक क्षेत्र निजी उपनिवेशको द्वारा विकसित करने की अनुमति क्षेपी । बांकि 90 प्रतिशत क्षेत्र केवल सरकार या सरकारी उपक्रम या सरकार द्वारा अनुमीदित सार्वजनिक अभिकरण द्वारा ही विकसित किया जायेगा ।
  - उपर्युक्त खण्ड (1) के उपनन्यों के अलावा भी सरकार किसी भी समय स्वयं या उपर्युक्त एजेसियों द्वारा विकास हेतु किसी अन्य सैक्टर को आरक्ति कर सकती है।

HARTMINA CIO	I. GAZ. (LATRICI),	
मख्य सडकों के लिए	भमि आरक्षण:-	

VIII	मुख्य डाईग	सड़कों के 1 में चिहनित	लेए भूमि आरक्षण:- की गई मुख्य सडकों के लिए भूमि का	आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगा।
क्रम	संख्या	वर्गीकरण		THE SEVENIE
1	tis-ti	V-1	पलवल-हथीन तथा उटावड अनुस्चित सडक	दोनों ओर 30 मीटर हस्ति पट्टी सहित वर्तमान चौडाई
2	E	V-2	परिधि सडक	दोनों ओर 30 मीटर हरित पट्टी संहित 75 मीटर चौडाई
3		V-3	सैक्टर संडक	45 मीटर चौडाई ।

अन्य सडकों की चौडाई और सीधाई सैक्टर योजना के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार होगी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा निजी उपनिवेशकों द्वारा विकसित किए जाने वाले सैक्टर/कालोनी के लिए अभिन्यास योजनाएं अनुमोदित करते समय मुख्य सङ्कों तथा निकटवर्ती हरित पट्टी, यदि कोई हो, के अधीन बनाने वाले क्षेत्र का प्लाटिङ / ग्रुप आवास कालोनी में प्लाट योग्य क्षेत्र / फर्श क्षेत्रफल अनुपात की ओर केवल 50 प्रतिशत का लाभ अनुज्ञात किया जाएगा। वाणिज्यिक कालोनी तथा सूचना प्रौद्योगिकी पार्क /साईबर सिटी के मामले में स्थल का कुल क्षेत्र या हरित पट्टी तथा सैक्टर सड़को के अधीन आने-वाले क्षेत्र, जो भी कम हो, के फर्श क्षेत्रफल अनुपात का 10 प्रतिशत का लामि अनुझात किया जाएगा।

IX अननुरूप उपयोग चाहे भूमि उपयोग अनुमति का वर्तमान या वैध परिवर्तन हो:

(1) विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से मिन्न अंचलों में स्थित वर्तमान परियोजना के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि के लिए औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु यह अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी बशर्त कि सम्बद्ध भवन का स्वामी:

(क) उस स्थल की निदेशक द्वारा बाह्य विकास के लिए उस द्वारा यथा नियारित अनुपातिक प्रभारों को देने का वचन देता है जब उसे निदेशक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये,

अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की सन्तुष्टि के अनुसार बहिः साव के निर्वहन के लिए संतोषजनक व्यवस्था करें.

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में वर्तमान परियोजना में किसी प्रकार के विस्तार की अनुमति नहीं होगी।

(2) विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न भूमि उपयोग अनुमति के वैध परिवर्तन वाली परियोजना तथा अंबलों में स्थित परियोजनाओं के सम्बन्ध में ऐसे अनुनुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी. बराते कि सम्बद्ध भवन का स्वामीः

(क) उस स्थल को निदेशक द्वारा बाह्रय विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्वारित अनुपातिक प्रमारों को देने का वचन देता है तथा जब उसे निदेशक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाए. तथा

(ख) अतिरिम अविध के दौरान निदेशक को सन्तुष्टि के अनुसार बिह: चाव के निर्वहन के लिए सन्तोषजनक व्यवस्था

अननुरूप उपयोग बन्द करनाः

यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द का हो तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुन उपयोग या पुन विकास की अनुमति दी जायेगी।

यदि अननुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से पुन-उत्पादन मुल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुन:विकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

खण्ड IX के अन्तर्गत नियत अवधि के समाप्त होने के बाद ऐसी भूमि केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने या उपयोग में लाने की अनुमति दी जायेगी।

(4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अवधि की समापित के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग करनी अनुज्ञात की जायेगी।

सैक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकास:- विनियम- IX यथा उपबन्धित में प्रावधान को छोडकर कोई मुख्य मृमि उपयोग जिसमें मूमि विद्यमान हैं, को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग और विकसित करने की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सैक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना जिसमें भूमि स्थित है में दिखाये गये ब्यौरें के अनुसार न हो।

अनुमोदित विन्यास या आंचलिक योजना का भाग रूप बनने वाले व्यक्तिगत स्थल:- प्लाट पर भवन निर्माण या प्न-निर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि :--



(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित छूट दी गई हैं, तथा निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक सड़क द्वारा पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था हो या सड़क बनी हो।

XIII विभिन्न प्रकार के नवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकार:

(1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न प्रकार होंगे

(i)	रिहायशी प्लाट		50 वर्ग मीटर
(ii)	सरकार द्वारा अनुमोदित आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास या गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए आवास स्कीम में रिहायशी प्लाट		35 वर्ग मीटर
(iii)	द्कान तथा रिहायशी प्लाट	i inn	100 वर्ग मीटर
(iv)	शापिंग बूथ जिनमें सामने बरामदा या पत्थर ईट का पैदल मार्ग शामिल हो	1	20 वर्ग मीटर
(v)	स्थानीय सेवा उद्योग प्लाट	into,	100 वर्ग मीटर
(vi)	हल्के उद्योग प्लाट		250 वर्ग मीटर
(vii)	मध्यम उद्योग प्लाट		8000 वर्ग मीटर

(2) वर्ग आवास स्कीम के अन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्र 5 एकड़ होगा, यदि वह लाईसैंस प्राप्त कालोनी का माग है और यदि यह स्वान्त्र रूप से, विकसित किया जाता है, 10 एकड़ होगा। लेकिन यर्ग आवास स्कीम जो कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा फ्लोट की जाती है तो वर्ग आवास स्थल का आकार स्कीम में घोषित अनुसार होगा।

XIV दिमिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत भवन का आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई और आकार:— स्वतन्त्र रिहायशी और औद्योगिक प्लाट पर बनाये जाने वाले भवनों का निर्मित क्षेत्र और ऊंचाई नियमों के अध्याय VII में अन्तर्विद्ध उपबन्धों के अनुसार होगी। अन्य प्रवर्गों के मामले में विनियम XVI के अन्तर्गत लगाये जाने वाले वास्तुकला नियन्त्रण के अध्यवीन अधिकतम निर्मित क्षेत्र और फर्श क्षेत्र अनुपात निम्नानुसार होगा:—

क्रम संख्या	उपयोग के प्रकार	मूमितल मन्जिल का अधिकतम निर्मित क्षेत्र	अधिकतम फर्श क्षेत्र अनुपात
-	वर्ग आवास	35 प्रतिशत	175
2	सरकारी कार्यालय	35 प्रतिशत 25 प्रतिशत	150
3	वाणिज्यिक	सक्षम प्राधिकरी द्वार अनुमोदित स्थलों की आचंलिक के अनुसार	名が Tab (   10   5   子   )
4	माण्डागार	75 प्रतिशत	150

हिच्च : मुतत तल जांवलिक योजना में अनुमोदित अनुसार अनुमत होगा। भूगत तल भण्डारण प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किन्द जन्देगा।

💥 🔫 नी जै जनती और पिछती ओर भवन पंक्ति: ये पंजाब अधिसूचित तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास चिक्रम नियम १७८६ के नियम 51, 52 तथा 53 के अनुसार उपबन्धित होगें।

x । बन्दुक्त बंबी नियत्रण- प्रत्येक भवन पंजाब अधिसूबित सङ्क तथा अनियमित विकास निर्वन्धन नियम 1965 के किन के अनुरूप होगा।

भार को अबस ने की उदयोग में डील- कृषि अंचल में पढ़ी किसी भूमि के मामले में सरकार इस विकास योजना के

उसे नुमति

दा से बोग के

विकसित

छोडकर तब तक अनुमोदित निर्माण या

- 1784
  - (क.) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास के लिए बशर्ते कि उपनिवेशक ने यह भूमि वास्ताविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए खरीदी हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमित प्राप्त करता है।
  - (ख.) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि के उपयोग के लिए (औद्योगिक कालोनी से भिन्न)

#### बशर्ते कि-

- मृमि वास्तविक तिथि से पूर्व खरीदी गई हो;
- सरकार की इस बात से संतुष्टि है कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतिक्षा नहीं की जा सकती;
- (iii) भू-स्वामी, यथा अपेक्षित नियमों के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है,
- (iv) मू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभार जब निदेशक द्वारा इस निमित्त कभी मांग की जाये, अदा करने की दखन देता है और अंतरिम अवधि में वहिःश्चाव के निर्वहन के लिए संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्या :- इस विनियम में शब्द कय से अभिप्राय है पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को प्राप्त करना है तथा न कि पट्टानामा जैसेकि कय हेतु इकरारनामा आदि।

- (ग) (i) मिक्य में इसके विकास के लिए उपयोग की जाने वाली सड़क के साथ —साथ कम से कम 20 मीटर बौड़ी हरित पदटी छोड़ने के बाद कम से कम 12 मीटर बौड़ी सार्वजनिक सड़क/शस्ता (अनुसूचित सड़क तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से निम्न) पर औद्योगिक रूप से पिछड़े खण्डों में पड़ने वाले उच्च/उच्चतर सम्मावित अंवलों के वियत्रित क्षेत्रों के कृषि अंवल में दो एकड़ तक गैर/कम प्रदूषण आर आई, एस./एस. एस. आई. ईकाईयों के उपयोग के लिए;
  - (ii) भविष्य में इसके विकास के लिए उपयोग की जाने वाली सड़क के साथ-साथ कम से कम कि मीटर चौड़ी हरित पट्टी छोड़ने के बाद कम से कम 24 मीटर चौड़ी सड़क (अनुसूचित सड़क सहित) पर औद्योगिक नीति में वर्णित औद्योगिक रूप से पिछड़े खण्डों में पड़ने वाले उच्च/उच्चतर सन्मावित अंचलों के नियंत्रित क्षेत्रों के कि अंचलों में गैर/कम प्रदेशण मध्यम तथा बड़ी ईकाईयों के उपयोग के लिए : तथा
  - (iii) सुरक्षा संस्थापनाएं, यदि कोई हों, के आस-पास के स्थल सुरक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अधीन अधिसृचित प्रतिबन्धित पट्टी के भीतर नहीं होने चाहिएं ।

XVIII सघनता:— प्रत्येक आवासीय सैक्टर इसके लिए ड्राईंग में दशाँयी तथा निर्धारित सैक्टर सघनता के अनुसार विकसित किया जायेगा परन्तु सैक्टर की विहित सघनता में किसी भी ओर अधिक से अधिक 20 प्रतिशत की विभिन्नता की अनुमति होगी।

XIX कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म हाउस की व्यवस्था:— आबादी देह के बाहर कृषि अंचल में फार्म हाऊस की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जा सकती है यदि मूमि का क्षेत्र दो एकड़ या इससे अधिक हो:—

		खित शती पर दो जो सकती है यदि भून आवासीय इकाई का मुख्य भवन	मुख्य आवासीय इकाई का अनुषंगी भवन
(i) निर्मित क्षेत्र	0.8094 हैवटेयर (2 एकड) न्युनतम	जैसा कि 380 वर्गमीटर के समकक्ष रिहायशी प्लाट के लिये लागू है।	फार्म की भूमि का 1 प्रतिशत (मजदूरों / नौकरों वे क्वार्टरों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं किया जायेगा)
	1.2141.हैक्टेयर तक (3 एकड)	जैसा कि 570 वर्गमीटर के समकक्ष रिहायशी प्लाट के लिये लागू है।	-सम-
	1.6188 हैक्टेबर तक (4 एकड) तक और अधिक	जैसा कि 760 वर्गमीटर के समकक्ष रिहायशी प्लाट के लिये लागू है।	
(ii) ऊंचाई	तथा मंजिल	11 मीटर, तीन मॅजिल	4 मीटर एक मंजिल

- (iii) दूरी: कृषि मूर्गि के सभी किनारों से कम से कम 15 मीटर दूर बशाँत कि यदि फार्म हाउस से संबद्ध मूर्गि सड़क के साथ लगती है, तो भवन का निर्माण सड़क के किनारें से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगा।
- जहां सड़क अनुस्चित सड़क का बाईपास या दुतगामी मार्ग है 100 मीटर
- (ख) जहां सड़क अनुसूचित सड़क है 30 मीटर या जो विकास योजना में दर्शाया गया है।
- (ग) कोई अन्य सड़क 15 मीटर



- (iv) पहुँच सड़कः राजस्य रिकार्ड में परिमाषित कोई राजस्य रास्ता / सड़क
- तहखाना : अधिकतम भूतल आच्छादन सीमा तक तहखाने के लिए अनुमित दी जायेगी, किन्तु तहखाने में शौचालय और स्नानगृह बनाने की अनुमित नहीं होगी।
- (vi) पुस्तवान, अटारी तथा पराइती तलः पुस्तवान, अटारी और पराइती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त निर्वन्धनों और खण्ड II के उपखण्ड (1), (फ) लथा (ब) में दी गई परिभाषा में दिये गये, प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दी जायेगी।
- (vii) सेवार्ये, जल आपूर्ति तथा जल निकास
  - (क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल अपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए ।
  - (ख) डेरी फार्न के मामले में छायावान की सफाई हेतु खुली सप्लाई नालियां अधवा ढकी हुई नालियां का प्रवस्थ किया जाना है। सभी मवनों के मामले में वर्षा के पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था की जानी है।
  - (ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मनुष्य और पशुओं के मल निस्तारण के लिए सैंप्टिक टैंक की व्यवस्था की जाये।
  - (घ) सैंग्टिक टैंक मलाशय और खुल कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार कृषि अचलं के उचित उपयोग के लिए राज्य सरकार/सरकार अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संशोधन कर सकती हैं।

- XX विकास योजना में बील:— सरकार अत्यन्त कठिनाई की दशा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांघे को बचान की दृष्टि से ऐसे विकास प्रमारों के मुगतान पर और ऐसी अन्य शर्तों पर जो वह लगाना उचित, समझे, समक तथा न्याय के सिद्धांन्त पर विकास योजना के किन्हीं भी उपबन्धों में बील दे सकती है।
- XXI सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां तथा साईबर पार्क/साईबर सिटी के लिए उपबन्ध:-
  - (1) अवस्थिति
    - (क) सूचना प्रौद्योगिक औद्योगिक इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी।
    - (व्ह) साइंबर पार्क/सुचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में कम से कम 60 मीटर आर ओ डब्द्यू सैक्टर सडक के साथ लगते हुए औ।व्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक/रिहायशी अंघल में अवस्थित होंगे। त्यापि ऐसे पार्कों ने कोई विनिर्माण कर रही इंकाईयाँ अनुझात नहीं होंगी।
    - (ग) साईबर सिटी- ऐसी सुविध की अवस्थिति का सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

12.3	खका	

-	इन संख्या	NAME .	आकार
1	1	स्चना प्रौद्योगिक औद्योगिक इकाई	! से 5 एकड
	2	साइंबर पार्क / सूचना पौद्योगिकी पार्क	5 से 15 एकड़
	3	साईबर सिटी	न्यूनतम 50 एकड

(HI) Refeu

इक के

र्शाया गया

#### 1 पार्किंग

- सर्देबर पार्क/सूचना प्रोद्योगिकी पार्क सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिकी इकाई प्रत्येक 50 वर्गमीटर
   कर्ज इंडक्टल के लिए एक समकस कार स्थल की दर से पार्किंग सुविधाएं प्रदान की जायेंगी;
- ब स्टूड प्रद्योगिकी उद्योग के लिए तीन स्तरीय तल वाच्छित पार्किंग हेतु तभी अनुझात किया

#### ।। अन्य क्रियाकताम

अनुवानक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे कि बैंक रैस्टोरेन्ट, बीमा कार्यालय इत्यादि के लिए स्टब्स्ट पार्क/ नुचना प्रौटोगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिशत के निर्वन्यन के अधीन रहते इर अनुनति दी जाएगी;



साईबर सिटी के क्षेत्र में ग्रुप आवास के लिए केवल 5 प्रतिशत अनुझप्त होगा तथा इस साईबर सिटी के कुल क्षेत्र का 4 प्रतिशत वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों के लिए अनुझात होगा;

साईबर सिटी में रिहायशी प्लाटों के विकास की अनुमति नहीं दी जाएगी, (11)

सार्ववर सिटी परियोजना यदि कृषि अंचल में अनुक्रप्त हो तो उद्यमी पानी सप्लाई तथा अन्य सुविधायें जैसे कि मल निकास/ड्रेनेज इत्यादि को निपटाने का प्रबन्ध करेगा। (घ)

सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जो समय-समय पर आवश्यक समझे। III

## संचार टावरों की स्थापना

1786

अवस्थिति : संचार टावर सक्षम प्राधिकारी को अनुमति से आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, परिवहन तथा संचार, सार्वजनिक तथा अर्घसार्वजनिक, खुले स्थानों, विशेषता कृषि अंचलों में स्थापित किये जा सकते हैं।

पहुंच : टावर की अवस्थिति के अनुसार पहुंच सड़क के लिए निम्नलिखित मानक लागू होंगे: II

कोई सडक / किसी भी चौडाई आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत अंचल (i) का राजस्य रास्ता

कोई सड़क / किसी भी चौडाई (ii) कृषि अचल का राजस्व रास्ता

उंचाई : भिन तल से टावर की अधिकतम उंचाई सक्षम प्राधिकारियों से समाशोधन के अध्यधीन 60 मीटर से अधिक नहीं होगी।

परिशिष्ट क मुमि उपयोग का वर्गीकरण

मुख्य कोड	उपकोड	मुख्य वर्ग	उपवर्ग
100		रिहायशी	पड़ोस पद्धति पर रिहायशी सैक्टर
200	210 220 230 240 250 260 270	वाणिज्यिक	परचून व्यवसाय शोक व्यवसाय भांडागार और मंडारण कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है। कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है। रेस्तरा, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि जैसे रिडायशी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजिनक सहायता संस्थायें भी शामिल हैं सिनेमा एवं शांगिजियक आधार पर लोगों के एकत्रित होने वाले अन्य स्थान व्यावसायिक स्थापनायें
300	310 320 330 340	औद्योगिक	सेवा उद्योग हल्के उद्योग व्यापक उद्योग भारी उद्योग
400	410 420 430 440 450 460 470	परिवहन तथा संचार	रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन तथा साईडिंग सड़के, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र डाक यार्ड, जैटी हवाई अड़डा / हवाई स्टेशन तार कार्येलय, टैलीफोन एक्सचेंज आदि प्रसारण केन्द्र दूरदर्शन केन्द्र



	1			
500		जन		
		उपयोगितायें	and a second of wife	व है
	510		जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामित जल निकास और सफाई संस्थापनायें जिनमें निस्तरण	ा कार्य भी शामिल है
	520		जल निकास और सफाइ संस्थापनाय जिनन निरंतर	. 313 31 311 311
	530		बिजली संयत्र उपस्टेशन आदि	
	540		गैस संस्थापना और गैस कार्य	
		सार्वजनिक		
600		तथा		
		अर्द्धसार्वजनिक	सरकारी प्रशासन, केन्द्रीय सचिवालय, जिला कार्याल	का विधि न्यायालय जेलें.
	610		सरकारी प्रशासन, कन्द्राय सांचवालय, जिला कावार	
			पुलिस थाने, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति निवास	
	620		शिक्षा, सांस्कृतिक और घार्मिक संस्थायें चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें	
	630		मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के थियेटर आपेरा जै	सी सांस्कृतिक संस्थायें
	640		स्था स्वामित्व वाली मूमि	- 70
	650		रक्षा स्वामस्य याला गून	
700		खुले स्थान	खेलकूद मैदान, स्टेडियम, क्रीडा मैदान	
	710		गार्क	
	720		हरित पट्टी, बाग तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपय	ोग
	730		कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि	
	740		पेट्रोल पम्प स्टेशन तथा बस पंक्ति शैल्टर	
	750		जल निकाय झील	
	760		of the transfer	
		क्षि मृमि		
800	810	Lin B.	मार्किट गार्डन	
	820		फलोदयान तथा नर्सरियां	
	830		प्रधान फसल के अन्तर्गत भूमि	
	840		चराई भूमि तथा चरागाहँ	
	850		वन भूमि	
	860		दलदल भूमि	
	870		बंजर भूमि	
	880		जलमन्न भूमि	
	890		डायरी फारमिंग	
	10			
			परिशिष्ट ख	THE PART OF THE PARTY OF THE PA
I	रिहायरी	कंपल:		
	(1)	आवासीय		
	(8)	बोर्डिंग हाकस	दायिक, घार्मिक और आमोद प्रमोद भवन	
	(=)	सानादक, सानु	द्यायक, धामक आर जानाय मनाय नय	
	(iv)	जन उपयोगिता	मवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय जहाँ	निदेशक द्वारा सैक्टर/ कालोनी
	(v)	श्रहानक भवन र	बार समा प्रकार के विचालव और रिवारन	की योजना में अनुमोदित स्थली
	(vi)	स्थास्थ्य संस्थावे		पर मुख्य उपयोग की स्थानीय जरूरतों तथा नगर की जरूरतों
	(vii)	सिनेना		के अनुसार।
	(vii)	वानिविद्युक्त और	व्यवसायिक कार्यालय	पा अनुसार।
	(bx)	परवृत की दुका	ने और रैस्तरां, ढाबा	
	(x)	स्थानीय सेव र	बोग	
	(30)	र्वेद्रोत पन		
	(10)	बल स्टार, तान	्टक्सी स्कूटर तथा रिक्शा स्टैंड	
	(101)	The same of	ीन गर	200
	(xxv)	निहायही चर्च	व में अनुषंगी कोई अन्य छोटी – छोटी जरूरतें	1

1	1
3	1
OX	5
	1788

	(xv)	सितारा	होटल		110	A					सरकार द्वारा तय की गई
	(xvi)			सूबना	प्राधााग	का भाव					नीति / पैरामीटर्स के अनुसार।
	(xvii)	संचार ट	ग्रवर	-	10	-	· wheel	de ti	निर्मात व		
	(xviii)	कोई अ	न्य उपय	ोग जिस	क लिए	सरका	c olloi	50 7			
II.	वाणिज्यिक	अंचलः								- 1	
	(i)	परचून व	यापार								
	(ii)	थोक व्य									
	(iii)	भांडागार	र और म	डारण	-					1	
	(iv)	वाणिज्य	क कार	ालय औ	र बंक	-	×		An end	THE THE	
	(v)	रैस्तरां	तथा अ	स्थाई अ	ावास ग	वृह् जिस	नम धन	शाला	आर पद	टक गृह	
	0.00	आदि हि	रेहायशी	स्थान उ	ादान य	जरने वार	न साव	जानक	सहायता	संस्थान	
		me hales	E rowal								
	(vi)	सिनेमा,	होटल,	मोटल	तथा व	गणिज्य	क्र आधा	र पर	चलन	वाले और	जैसा कि मुख्य उपयोग की
		लोगों व	के इकट	वा होने	वाले	स्थान प	सि थि	पटर, व	लिब, %	ामा क्लब	स्थानीय जरूरतों और सैक्टर
		आदि									योजना में उनके लिए निर्धारित
	(vii)	व्यावसा	यिक सं	स्थापनाये							स्थलों पर या कालोनियों की
	(viil)	प्रथम त	ाथा उच	वतर मंचि	नलों पर	निवास					अनुमोदित अभिविन्यास योजनाओ
	(ix)		। सेवा								में अपेक्षित है
	(x)	जन उ	पयोगित	नवन							
	(xi)	पैट्रोल	पम्प औ	र सर्विस	गैरेज						
	(xii)	माल च	काने औ	र उतार	ने वाले	यार्ड			1 0	-	0 0
	(xiii)	वाहन	खड़े का	ने के स	थान, बर	स स्टाप,	टक्सा,	तागा	आर ।४०	त्शा स्टैड	
	(xiv)	नगर प	गर्क								
	(xv)	संचार	टावर			-		4 6	-	Dufn -	
	(xvi)	कोई सकता		पयोग वि	जेसके	लिए व	नाकहित	H  F	दशक	निर्णय ले	
***	औद्योगिव	রাখনে									
III.		हल्के	जलोग								
	(i)		उद्योग								
	(ii)			खतरन	क उद्ये	म					10 1 0
	(iii)	भारी			-						सैक्टर या कालोनियों की
	(iv)		उद्योग								अनुमोदित अभिविन्यास योजना
	(v)			गंडारण							उनके लिए निर्घारित स्थल।
	(vi)	mOt.	मान	चनाने ३	शैर जन	रने वार	ने क्षेत्र				4
	(vil)	-	4 /	2102 002	ाप देक	भी तांगा	और ।	रेक्शा र	रेंड		
	(viii)	-	from m	नमोगिला	च्याच्याला ।	शिक भर	ान पर	वन का	दकान.	बैंक, ढाबा	THE RESERVE TO 1
	(ix)	Samuel	to at	Partie /	वास दि	वताण ह	ाटल त	था बाम	काया	नयाणगप	
		4401	थे जाहरू	ਸ਼ੀਰਦਾਹ	के कल	क्षेत्रफर	न के ती	न प्रति	शत से	अधिक नही	
		होगा	district	Hann	3.						
		61-11									सैक्टर या कालोनियों की
		9.8	प्रकाशी बार भूप		N .	BY E	क प्रकृत	अधिकार स अनुस	धर्म शेव अनुवात	र्जुस गर्ग	अनुमोदित अभिविन्यास योजना
				HE MANUAL PROPERTY.	utteen	at men	1000	10 S	40 %	न्यूनाम अ मेटर	उनके लिए निर्धारित स्थल।
		15	une	५०० वर्ग विद्या	1000 सर्व विदर	1	क का केटर		150 %	क्यात क बेटर	100
		1.2	THEIRE	1000 दर्ग शिंदर	अव्यक्त अव्यक्त	2	10 %	mt	TOTAL TOTAL	क्षात स् वटा	
		3	d/fin fenin	10 793	25 Q#S		15.5	30 %	er differt	Am west	
		100	Appu	1				1	d district	1-3-5	
			-	TA PAR	AU THE	12	65	30 %	action .	क्ष्मित स्ट्रिक स	

(x) पैट्रोल पम्प तथा सर्विस गैरेज

निदेशक द्वारा अनुमत एल.पी.जी. गैस गोदाम (xi) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे कि अस्पताल औषाधालय निसंग होम क्लीनिक साईवर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक (xii) स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, क्लिनिक (xiii) निम्नानुसार है:elect Newson for 15 एकड के अधिकतम क्षेत्र सहित औद्योगिक कालोनी /क्षेत्र उपयोग (xiv) निम्नानुसार होगा :-संचार टावर (xv) निदेशक की अनुमति से कोई अन्य उपयोग । (xvi) प्रिवहन तथा संवार अंचलः रेलवे यार्ड रेलवे स्टेशन और साईडिंग परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन, डिपो और पार्किंग क्षेत्र (ii) हवाई अडडा और हवाई स्टेशन (iii) तार घर और टेलीफोन कार्यालय (iv) प्रसारण केन्द्र सैक्टर योजना में निर्धारित स्थलों दूरदर्शन केन्द्र (vi) पर । अनुमोदित सीलों और सीानों पर कृषि बागवानी और नर्सरियां (vii) पैट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज (viii) पार्किंग सील, बस स्आप / शैल्टर, टैक्सी, टांगा और रिक्शा स्टैंड (ix) संचार टावर, ढावा (x) वेयरहाउस (सैक्टर के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 5% प्रतिशत) (xi) जन उपयोगितायः जल आपार्ति स्थापना इसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं (1) सैक्टर योजना में निर्धारित जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें निपटान कार्य भी शामिल है (ii) स्थलों पर । इलैक्ट्रिक पावर प्लांट तथा सबस्टेशन में ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल है । (iii) गैस स्थापना तथा गैस वर्कस । (iv) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचलः सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र सचिवालय और पुलिस थाना कैंडिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें (II) सैक्टर योजना में निर्धारित विकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें (iii) स्थलों पर

VI

नगरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाए जैसे कि थियेटर, ओपेरा (N) हाउस जो कि मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

रहा स्वामित्व वाली मुमि

संचार टावर (vi)

IV

E 8

(vii)

27.0	- Photole	1 .	7	ers 4	RESPECTA	अधिकत्त्र गुण्ड	यस क्षेत्र
	20.40	100	again.	alt stem	rice:	SHORE	agen
2	200	es or	1000 RH	3	80 वर्ग फेटर	60 S	40 %
2	NO.	100 01	3000 04	2	10 %	30.2	180 %

## HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 21, 2009 (VYSK. 1, 1931 SAKA)

- कोई अन्य उपयोग जिसके संबंध में सरकार द्वारा जनहित में निर्णय (viii) लिया गया हो ।
- संचार टावर (ix)

#### VII खले स्थानः

- खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा खेल मैदान
- गार्क तथा हरित पद्टी
- कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि (iii)
- निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ पेट्रोल पम्प, बस पंदित / शैल्टर (iv)
- अनुसूचित सड़कों एवं मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्टी में सार्वजनिक (v) उपयोगिता सेवाओं जैसा कि प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति, सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें।
- संचार टावर (vi)
- निदेशक की अनुमति से कोई अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग । (vii)

#### VIII बिल्कुल निषिद्ध उपयोगः उचित लाइसेंस के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण

#### कृषि अंचलः IX

- कृषि, बागवानी, डेरी और मुगी पालन (i)
  - आबादी देह में गांव घर
- अंचल विनियम XIX में निर्धारित प्रतिबन्धों के अनुसार आबादी देष्ठ के बाहर (iii)
- वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग
- आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र (v) सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना हो
- दग्ध अवशीतन केन्द्र और पैरचयूरीकरण केन्द्र (vi)
- बस अडडा और रेलवे स्टेशन (vii)
- अनिवार्य भवनों सहित हवाई अङ्डा (viii)
- (ix)
- निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, मंडारण स्थल
- मौसम कार्यालय (xi) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए (xii)
- नलकूप टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्मे
- (xiii) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के मद्दे पत्थर खादाने (xiv) और क्रेशिंग शामिल है।
- शमशान और कब्रिस्तान (xv)
- पेटोल पम्प और सर्विस गैरेज (xvi)
- पन बिजली/धर्मल विजली सयंत्र/उपकेन्द्र (xvii)
- निदेशक के अनुमोदन से एल.पी.जी. मण्डारण गोदाम (xviii)
- निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक के अध्यधीन रक्षा संस्थापन के निदेशक, नगर तथा ग्राम (xix) इर्द-गिर्द प्रतिबन्धित पट्टी, यदि कोई हो, जैसा कि ऐसे आयोजन विमाग, हरियाणा संस्थापनाओं के लिए लागू के बाहर ग्रामीण उद्योग योजना द्वारा यथा अनुमोदित। / छोटे पैमाने की औद्योगिक ईकाईयों के रूप में पंजीकृत प्रदूषण रहित उद्योग;

निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा द्वारा अनुमोदित स्थलों पर।

निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजन विमाग, हरियाणा द्वारा यथा अनुमोदित।



- वर्तमान गांव आबादी के आसपास की पटटी के आधे किलोमीटर में स्थित हो और अनुसूचित सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य अनुसूचित राजमार्ग से मिन्न किसी सार्वजनिक सडक/रास्ते द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता हो; या
- सार्वजनिक सडक / रास्ते पर जो कम से कम 30 फुट चौड़े हो, (ii) अनुस्चित सडक, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य अनुस्चित राजमार्ग से भिन्न उक्त (i) में उल्लेखित आधा किलोमीटर की अंचल से बाहर पहुंच सड़क के साथ-साथ 100 मीटर के अन्दर की ओर
- 2 एकड तक के क्षेत्र के साध
- अनुसूचित सडकों, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग से मिन्न, कम से कम 30 फुट चौड़ी सार्वजनिक सड़कों / राजस्य रास्ते पर प्रदेषण रहित मध्यम तथा बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उघोग बशर्ते स्थल रक्षा संस्थापन के इर्द-गिर्द प्रतिबन्धित पट्टी, यदि कोई हो, जैसा कि ऐसे संस्थापनाओं के लिए लागू के भीतर नहीं पड़ना
- (xx) प्रतिबन्धित हरित पट्टी के बाहरी क्षेत्रों राष्ट्रीय राजमार्ग /अनुसूचित सड़क निम्नानुसार ढाबा बेंकट हालं, रैस्टोरैन्ट, मोटल, होटल, रिसॉट तथा

प्रम संस्था	अनुख्य किया कलाप	क्षेत्र	and the second	वाणिज्यवा	ariquerry.	क्य क्षत्र क्षत्रकार
	-	न्यूनतम	প্রথিকরন	NEW	नुसस	
1	2	3	4	5	6	7
1.	दाव	1000 वर्ग गीटर	1 60-2	50 वर्ग नीटर	40 %	40 %
2	रेस्टरिन	2000 वर्ग गीटर	567.1	15 %	30 %	150 %
3	विकट हाल	25 एक ह	-	10 %	30 %	50 %
4	वेश्विट मुक्तिशाओं से विना मोटल	1 644	3 एकड	15 %	30 %	150 %
5	बेकिट सुविधाओं सहित मोटल	25 एकड	5 एकड	15 %	30.%	150 %
6	पांच किसान होटल	4 एक्स	15 एকর	15 %	30 %	150 %
7	Reliz	4 एकड	10 एकव	15 %	30 %	150.%
8	मनोरजन पार्क/धीम पार्क	25 एकड	10 एकह	15 %	30 %	150 %

परन्तु यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है तो पहुंच अनुमति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त करनी है तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर स्थित है तो पहुंच अनुमति कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विमाग (भवन तथा सड़कें) से प्राप्त करनी होंगी। (xxi) माईक्रोवेव टावर स्टेशन/भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द

- (xxii) संचार टावर्स

  - (xxiii) कोई अन्य उपयोग जिसके लिए सरकार लोकहित में निर्णय ले सकती है।

1792

परिशिष्ट - ग

सूवना प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र / परिमाषा में सम्मिलित की गई उद्योग की श्रेणियाँ कम्प्यूटर डिवाईसिज के अन्तर्गत : (क) डेस्कटाप पर्सनल कम्प्यूटरर्स सरवर्ज वर्क स्टेशन नोडस. टरमिनलस नैटवर्क पी.सी. होम पी. सी. लैपटाप कम्प्यूटरस नोट बुक कम्पयूटरर्स पामटॉप कम्प्यूटरसं/पी.डी.ए.

नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड / मेमोरी के अन्तर्गतः (ख) नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन. आई. सी.) एडोप्टर इधरनेट / पी.सी.आई /ई.आईएस.ए. / कोम्बो / पी.सी.एम.आई.सी.ए. एस.आई.एम.एम.मेमोरी डी.आई.एम.एम.मेमोरी डी.आई.एम.एम.मेमोरी सैन्ट्रल प्रोसैसिंग यूनिट (भी.पी.यू.) कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई./ऐरे प्रोसैसर का प्रौसेसर/प्रोसैसर पावर मोडयूल/अपग्रेड

स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत: (ग) हार्ड डिस्क ड्राईवस / हार्ड ड्राईवस आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर फलोपी डिस्क ड्राईव सी.डी.रोम ड्राईव टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी. ओपटीकल डिस्क ड्राईव अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(日) की बोर्ड मोनीटर माऊस मल्टीमीडिया किट्स

प्रिन्टर एवं आउटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत : (3) डोट मैट्रिक्स लेजरजेट इन्कजैट डेस्कजेट एल.ई.डी. ग्रिन्टर्स लाईन प्रिन्टर्स प्लाटर्स पास बुक ग्रिन्टर्स प्लाटर्स पास बुक प्रिन्टर्स



- नेटवर्किंग उत्पाद के अंतर्गतः (司) रूटर्स स्विचज कोन्सनट्रेटर्स टांसरिसिवर्स
- सोफटवेयर के अन्तर्गत : (8) एप्लीकेशन्स साफटवेयर आपरेटिंग सिस्टम मिडल वेयर /फर्म वेयर
- कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाले पावर सप्लाई के अन्तर्गत : (ज) स्विच मोड पावर सप्लाई अनडटररिप्टड पावर सप्लाई
- नेटवर्किंग / केबलिंग तथा उससे संबंधित माग : (31) (सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल कोपर केबल केवत्स कनैवटर्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माजिल्स पैच कोर्ड माजिल्स पैच कोर्ड माजिल्स कोर्ड / वाविष्य ब्लाक सरफेस माउंट बससे

सरफेस गाउंट बक्से

- कन्ज्यमेबल्स के अन्तर्गत : सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क फलोपी डिस्क टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी. रिवन्स टोनर्स
  - इन्कजैट कारटेजिस आऊटपट डिवाईसिस के लिए इंकस
- इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टस : प्रिटिंग सर्किट बोर्ड / पापुलेटिड पी.सी.बी. प्रिंटिड सर्किट बोर्ड /पी.सी.बी. ट्रांजिस्टर्ज इन्टेग्नेटिड सर्किटर्स / आई.सी.एस. डायोड्स / धाईरिस्टर / एल.ई.डी. रेसिस्टर्स केपेसिटर्स स्विचिज (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि) प्लगस/साकट्स/रिलेज मेगनेटिक हेड्स, प्रिन्ट हैड्स कनेक्टर माईक्रोफोन्स / स्पीकर्स फयुजिस
- टैलीकम्युनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत : (ত) टैलीफोनज विडियों फोन फेसी माईल मशीन / फैक्स कार्डस

टैली प्रिन्टरस / टैलेक्स मशीनस

पी.ए.बी.एक्स / ई.पी.ए.बी.एक्स / आर.ए.एक्स / एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्ससं म्यूजिक्स

मोडग्स

टैलीफोन आन्सरिंग मशीन

टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स

एन्टेना एण्ड मास्ट

बायरलेस डाडाकॉम इक्वीपमेन्ट

रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल / सैल्यूलर फोनज इत्यादि

वी.एस.ए.टीज.

वीडियों कोनफोरेसिंग इक्वीपमेन्ट

वीडियों तथा डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत

- (इ) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया एवं सेवाये हैं जिसके अन्तिम उत्पाद / सेवायें जिनकों
  - भारत से बाहर वितरित करने के लिए
  - संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए तथा
  - या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर स्थित)

ाटप्पण सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं,--

- (i) सुदूर उत्पादन / निर्माण इकाईयां
- (ii) कम्पनियों के निगमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं
- (iii) इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मापदण्ड पूर्ण करती हैं तो उन्हें सम्मिलित किया जायेगा :

- (i) बैंक ऑफिस कार्य
  - (ii) काल सैन्टरज
  - (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एमीमेशन
  - (iv) डाटा प्रोसैसिंग
  - (v) अभियान्त्रिक एवं रचना
  - (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज
  - (vii) मानव संसाधन सेवायें
- (viii) बीमा दावा सम्बन्धी कार्य
  - (ix) लीगल डाटा बेस
- (x) मैडीकल ट्रान्सक्रिपान
  - (xi) पे-रोल
- (xii) सुदूर रख-रखाव
- (xiii) राजस्य लेखे
- (xiv) सप्पोर्ट सैन्टरज तथा
  - (xv) यैब-साईट सर्विसेज"।

डी० एस० ढेसी, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।